

E-Mail-pvvnacc@gmail.com
CIN- U31200UP2003SGC027458

पत्रांक : /प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/पी-2 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में *ultra vires* घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी-1-का-2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92 दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए, उन्हें स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप संख्या 3366 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा किये गये पदावनत आदेशों के अनुक्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति के अनुरूप चयनित करते हुये तदानुसार प्रोन्नत एवं तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/गृहजनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/दिनांक तथा तैनाती कार्यालय का नाम
1.	2	3	4	5
1.	श्री प्रमोद कुमार सिंह/बुलन्दशहर/ 31.12.2029/ लेखा/ आर०ए०पी०डी०आर०पी०, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ	लेखाकार सहायक लेखाकार लेखालिपिक	कार्यालय सहायक-तृतीय	लेखालिपिक 26.10.2004 सहायक लेखाकार 09.02.2011 परि०ले०का०(वि०), मुरादाबाद

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक : 3442/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/पी-2

दिनांक : 09/09/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(वित्त)/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. अपर सचिव-तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

4. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, प०वि०वि०नि०लि०,
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(वितरण), प०वि०वि०नि०लि०,
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, प०वि०वि०नि०लि०,
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प०वि०वि०नि०लि०,..... को उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनि/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं० 414/2015 दिनांक 20.08.2015 को दिए गए निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करेंगे की उक्त कार्मिक कों किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा साथ ही उक्त आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करार्येंगे।
11. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिगत पत्रावली।


 (पी०के० अग्रवाल)
 उपमहाप्रबन्धक(लेखा)